14-ALLOTMENT 8

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- प.3(1)साप्र/2/2012-पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 19-12-12

- आदेश -

श्रीमती लवीना मित्तल, वरिष्ठ प्रवक्ता, राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 100/2003 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.2039 है के आधार पर उनके निवास हेतु आवंटित राजकीय आवास संख्या ए-106, जवाहरनगर के स्थान पर इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2012-पार्ट दिनांक 29.11.2012 के द्वारा राजकीय आवास संख्या 'एच' ब्लॉक, एमआरईसी केम्पस गांधीनगर, जयपुर आवंटित किया गया के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 'एफ' ब्लाक एमआरईसी केम्पस गांधीनगर, (रिक्त होने की प्रत्याशा में) जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्ते:-

1. आवास का कब्जा आवास के **रिक्त होने की तिथि से** 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. प्राचार्य, राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय गांधीनगर, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**

7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय / जयपुर शहर जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0 अभि0 वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधी-नगर / जवाहरनगर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. शासन सहायक सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
13. श्रीमती लवीना मित्तल, वरिष्ठ प्रवक्ता, राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविधालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित कराने का श्रम करावें।
14. संबधित अधिकारी।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
16. अतिरिक्त निजी सचिव, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2)विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव